| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज |
|---|---|
| 19.10.2023 | पत्रावली पेश हुई । वकील वादीगण उपस्थित । प्रारंभिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.अ./23/1862 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा के विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश हुआ। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली रहे। वकील वादीगण ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया तथा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने की सहमति देते हुये पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये । जिस पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार वादीगण का वाद बाबत् तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

( दिलीप सिंह )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक (अंतिम डिक्री) |
|---|---|---|---|
| 42/2023 | 2023/196 | 18.04.2023 | 19.10.2023 |

## उनवान प्रकरण

1. पप्पूसिंह पुत्र सायरसिंह आयु 65 वर्ष
2. सौदयालसिंह पुत्र सायरसिंह आयु 60 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—— वादीगण——

बनाम

1. किरण कंवर पुत्री बेगसिंह
2. प्रकाश कंवर पुत्री बेगसिंह
3. सन्तोष कंवर पुत्री बेगसिंह
4. छीगनसिंह पुत्र स्व0 जमनसिंह
5. पूनम कंवर पुत्री स्व0 जमनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

6. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 प्रेम कंवर पुत्री स्व0 जमनसिंह
7. हेमेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 प्रेम कंवर पुत्री स्व0 जमनसिंह
8. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 प्रेम कंवर पुत्री स्व0 जमनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मुहाना तहसील नांवा जिला नागौर (राज0)

9. पुष्पा कंवर पुत्री स्व0 जमनसिंह
10. गोविन्दसिंह पुत्र देवीसिंह
11. दशरथसिंह पुत्र देवीसिंह
12. मुकेशरिंह पुत्र कैलाश कंवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

19/10/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

13. महेन्द्रसिंह पुत्र जमनसिंह
14. राजेन्द्रसिंह पुत्र जमनसिंह
15. लालसिंह पुत्र कैलाश कंवर
16. सन्तोष कंवर पुत्री जमनसिंह
17. सुरेन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

18. कैलाश कंवर पत्नी झाबरसिंह
19. अनिता कंवर पुत्री झाबरसिंह
20. सुमिता कंवर पुत्री झाबरसिंह
21. शिवराज पुत्र झाबरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

22. भूमिधारी जरिए तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
23. पटवारी पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित : –

श्री रघुनाथ सिंह एड0 वादी अभिभाषक।

संरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 22 की ओर से।

## दावा बाबत तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरस्ती राजस्व रिकार्ड

(अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

## ——:: निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 983 रकबा 1.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.84 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम बागरियावास

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना
19/10/23

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) हैं जिसका वर्तमान राजस्व रिकार्ड निम्न प्रकार है – कृष्णा कंवर पत्नी बेगसिंह हिस्सा 1/48, किरण कंवर पुत्री बेगसिंह हिस्सा 1/48, गुलाब कंवर पुत्री जमनसिंह हिस्सा 1/72, गोविन्दसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/16, छीगनसिंह पुत्र जमनसिंह हिस्सा 1/72, झाबरसिंह पुत्र जमनसिंह हिस्सा 1/72, दशरथसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/16, पुनम कंवर पुत्री जमनसिंह हिस्सा 1/72, पप्पूसिंह पुत्र सायरसिंह हिस्सा 1/4, प्रकाश कंवर पुत्री बेगसिंह हिस्सा 1/48, प्रेम कंवर पुत्री जमनसिंह हिस्सा 1/72, पुष्पा कंवर पुत्री जमनसिंह हिस्सा 1/72, मुकेशसिंह पुत्र कैलाश कंवर हिस्सा 1/48, महेन्द्रसिंह पुत्र जमनसिंह हिस्सा 1/72, राजेन्द्रसिंह पुत्र जमनसिंह हिस्सा 1/72, लालसिंह पुत्र कैलाश कंवर हिस्सा 1/48, संतोष कंवर पुत्री बेगसिंह हिस्सा 1/48, सन्तोष कंवर पुत्री जमनसिंह हिस्सा 1/72, सुरेन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा 1/8, सौदयालसिंह पुत्र सायरसिंह हिस्सा 1/4 अंकित है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 814 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 817 रकबा 0.03 हैक्टर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 818 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 870 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 5.22 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम [illegible]गरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे है। जिसका राजस्व रिकार्ड भी वर्तमान मे वादपत्र की मद संख्या 1 में अंकित अनुसार है। खातेदार कृष्णा कंवर पत्नी बेगसिंह हिस्सा 1/48 का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 है इसी प्रकार खातेदार गुलाब कंवर पत्नी स्व0 जमनसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 4, 16 ता 21, 5, 6 ता 8, 9, 13, 14, 16 है खातेदार झाबरसिंह पुत्र जमनसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका हैं जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 है तथा खातेदार प्रेम कवंर पुत्री जमनसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 है। वादी [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] ही कुटुम्ब के सदस्य हैं इन्होने अपने–अपने हिस्सानुसार मौके पर [illegible] काश्त कर रखा है। जिसमे वादीगण ने अपना हिस्सा 1/2 कृषि भूमिया [illegible] वादपत्र की मद नम्बर 1 व 2 अलग अलग 1/4–1/4 हिस्सा पर कब्जा कर रखा है तथा शेष खातेदारान अपने हक हिस्सानुसार बाहमी बंटवारे के अनुसार उक्त भूमियों पर काबिज काश्त है। राजस्व रिकार्ड शामलाती होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

से हर बार एक दुसरे को एक दुसरे से राजकीय सहायता के लिए सहमति प्राप्त करनी होती है जिसमे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस कारण वादीगण राजस्व रिकार्ड के अनुसार व मौके पर भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार विधिक तकास्मा करवाना चाहते है जिसके वादीगण कानूनी अधिकारी भी है। उक्त भूमियों का विधिक तकास्मा नही होने से काश्तकारो को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न लाभप्रद सहायताओ से वंचित होना पड़ रहा है। इस कारण भी उक्त कृषि भूमिया वर्णित वादपत्र की मद नम्बर 1 व 2 का कानूनन बंटवारा कराया जाना अति आवश्यक एंव न्यायोचित है। प्रतिवादीगण ने मौके पर वर्षो पूर्व हुये बंटवारा को तो स्वीकार कर रखा हैं किन्तु विधिक तकास्मा नही करवा रहे है। इस बाबत् वादीगण ने प्रतिवादीगण को जब भी कहा तो हा, हूँ करते रहे किन्तु दिनांक 23.03.2023 को समस्त प्रतिवादीगण ने विधिक तकास्मा करवाने बाबत् स्पष्ट इंकार कर दिया इस कारण वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार बना हुआ है क्योंकि प्रतिवादीगण एहलानियां धमकी देते है कि हम तो हमारा हिस्सा बिना वैधानिक बंटवारा करवाये ही दीगर को विक्रय करेंगे जो मनमर्जी से अच्छी अच्छी भूमियों पर कब्जा कर तुम्हे तुम्हारे कब्जे से बेदखल करेगे इस कारण भी विधिक तकास्मा करवाया जाना अतिआवश्यक एंव न्यायोचित है। प्रतिवादीगण ने बिना वैधानिक बंटवारा करवाये अपने अपने हिस्से का विक्रय दीगर को कर मौके पर तनाव उत्पन्न किया जाता है तथा कृषि भूमि को अकृषि में बदल दिया जाता है तथा अजनबी क्रेतागण द्वारा वादीगण को उनके कब्जा काश्त की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर दिया जाता है तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही होगी इस कारण वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण ने वादपत्र पेश करते हुये इस आशय का अनुतोष चाहा कि वादीगण को उनके हिस्सा 1/2 मे हिस्सा 1/2, हिस्सा 1/2 अर्थात सम्पूर्ण मे हिस्सा 1/4, हिस्सा 1/4 का उक्त वर्णित कृषि भूमियां का बाह्मी बंटवारानुसार मौके पर अवस्थित कब्जा काश्त के अनुसार अलग खातेदार कायम करते हुये अलग कर वादी नम्बर 1 के हिस्सा व कब्जे की भूमि हिस्सा 1/4 का अलग से खाता कायम कर अलग से नक्शा तैयार कर अलग से लगान कर उक्त हिस्सा 1/4 से वादी नम्बर 2 व अन्य प्रतिवादीगण का नाम उक्त हिस्सा 1/4 के राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे तथा शेष हिस्सा 3/4 से वादी नम्बर 1 का नाम हजफ फरमाया जावे। इसी प्रकार कृषि भूमियां उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

19/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

हिस्सा 1/4 का वादी नम्बर 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग नक्शा तैयार कर अलग से लगान कायम कर उक्त हिस्सा 1/4 से वादी नम्बर 1 का व अन्य प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। शेष हिस्सा 1/2 का विधिक तकास्मा प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार किया जाकर उक्त हिस्सा 1/2 से वादीगण का नाम हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे ।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद एक माह का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 व 23 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । वकील वादीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 21 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकोर्ड अलग बनाया जाकर अगल से लगान कायम करते हुए अलग अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत निवेदन किया । जिस पर वकील वादीगण ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति प्रदान की । जिस पर वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के राजस्व रिकोर्ड खातेदारी में दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त व बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक विभाजन करते हुए वादीगण को उनके हिस्सा 1/2 अर्थात् सम्पूर्ण हिस्सा 1/4, हिस्सा 1/4 का उक्त वर्णित भूमियां का बाहमी बंटवारानुसार मौके पर अवस्थित कब्जा काश्त के अनुसार अलग खातेदार काबिज काश्तकार घोषित कर वादी नम्बर 1 के हिस्सा व कब्जे की भूमि हिस्सा 1/4 का अलग से बट्टा नम्बर डालकर अलग से नक्शा तैयार कर अलग से लगान कायम कर उक्त हिस्सा 1/4 से वादी नम्बर 2 व अन्य प्रतिवादीगण का नाम उक्त हिस्सा 1/4 से हजफ फरमाया जाने तथा शेष 3/4 से वादी नम्बर 1 का नाम हजफ फरमाये जावे तथा इसी प्रकार उक्त वर्णित भूमियों के सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 का वादी नम्बर 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर अलग बट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

19/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला- सीकर

नम्बर डालकर अलग नक्शा तैयार कर अलग से लगान कायम कर उक्त हिस्सा 1/4 से वादी नम्बर 1 व अन्य प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करने के आदेश पारित किये गये । शेष हिस्सा 1/2 का विधिक तकास्मा प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार किया जाकर उक्त हिस्सा 1/2 से वादीगण का नाम हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करते हुए भूमियों के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किया जाकर रास्ते का प्रावधान करते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण को उनके नाम दर्ज हक हिस्सा व खातेदारी की भूमियों का अलग अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग अलग राजस्व रिकोर्ड बंनाये जाने व अलग से लगान कायम किया जाकर नक्शें में अलग अलग तरमीम किये जाने हेतु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 24.05.2023 को प्रारम्भिक डिक्री की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/ न्याया/ स्था/ प– 51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.अ./23/1862 दिनांक 10.10.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय जेरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.10.2023 को पेश हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया तथा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने की सहमति देते हुये पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण ने प्रकरण [illegible] से संबंधित होने एवं इस संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील वादीगण की

19/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला नीमकाथाना

सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई।

हमने वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावलीपर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम–1956 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने –अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकार है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकुलाय उभय पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार वाद पत्र बाबत तकारम्मा,स्थाई निषेधाज्ञा व दुरस्ती राजस्व रिकार्ड बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 19/10/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

## —:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 10.10.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है–

**<u>मौके के अनुसार विभाजन प्रस्ताव</u> :–**

| खातेदार का नाम | खाता संख्या | खसरा संख्या | रकबा |
|---|---|---|---|
| पप्पू सिंह पुत्र श्री सायर सिंह जाति राजपूत | 43 | 983/2<br>993/2<br>किता 2 | 0.3300<br>0.1300<br>कुल 0.4600 है0 |
| सोदयाल सिंह उर्फ श्योल सिंह पुत्र श्री सायर सिंह जाति राजपूत राहिन आईडीबीआई बैंक भारणी | 43 | 983/1<br>993/1<br>किता 2 | 0.3300<br>0.1300<br>कुल 0.4600 है0 |
| अनिता कँवर पुत्री झाबर सिंह हिस्सा 1/144, कैलाश कंवर पत्नि झाबर सिंह हिस्सा 1/144, कृष्ण कंवर पत्नि बेग सिंह हिस्सा 1/24 किरण कंवर पुत्री बेग सिंह हिस्सा 1/24 गुलाब कंवर पत्नि जमन सिंह हिस्सा 1/36 गोविन्द सिंह पुत्र देवी सिंह हिस्सा 1/8 छिगन सिंह पुत्र जमन सिंह हिस्सा 1/36 दशरथ सिंह पुत्र देवी सिंह हिस्सा 1/8 पूनम कंवर पुत्री जमन सिंह हिस्सा 1/36 प्रकाश कंवर पुत्री बेग सिंह हिस्सा 1/24 प्रेम कंवर पुत्री जमन सिंह हिस्सा 1/36 पुष्पा कंवर पुत्री जमन सिंह हिस्सा 1/36, [illegible] पुत्र कैलाश कंवर हिस्सा 1/[illegible] सिंह पुत्र जमन सिंह हिस्सा 1/36 | 43 | 983/3<br>993/3<br>किता 2 | 0.6600<br>0.2600<br>कुल 0.9200 है0 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह 19/10/23
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

| | | | |
|---|---|---|---|
| राजेन्द्र सिंह पुत्र जमन सिंह हिस्सा 1/36 लाल सिंह पुत्र कैलाश कंवर हिस्सा 1/24 शिवराज सिंह पुत्र झाबर सिंह हिस्सा 1/144 सन्तोष कंवर पुत्री बेग सिंह हिस्सा 1/24 सन्तोष कंवर पुत्री जमन सिंह हिस्सा 1/36 सुमिता कंवर पुत्री झाबर सिंह हिस्सा 1/144 सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत (राहिन सुरेन्द्र सिंह आईडीबीआई बैंक भारणी) | | | |

| खातेदार का नाम | खाता संख्या | खसरा संख्या | रकबा |
|---|---|---|---|
| पप्पू सिंह पुत्र श्री सायर सिंह जाति राजपूत | 45 | 838<br>839/1<br>814<br>किता 3 | 0.3500<br>0.0100<br>0.9450<br>कुल 1.3050 है0 |
| सोदयाल सिंह पुत्र श्री सायर सिंह जाति राजपूत राहिन आईडीबीआई बैंक भारणी | 45 | 869<br>814<br>किता 2 | 0.8500<br>0.4550<br>कुल 1.3050 है0 |
| अमिता कॅवर पुत्री झाबर सिंह हिस्सा 1/144, कैलाश कंवर पत्नि झाबर सिंह हिस्सा 1/144, कृष्ण कंवर पत्नि बेग सिंह हिस्सा 1/24 किरण कंवर पुत्री बेग सिंह हिस्सा 1/24 गुलाब कंवर पत्नि जमन सिंह हिस्सा 1/36 गोविन्द सिंह पुत्र देवी सिंह हिस्सा 1/8 छिगन सिंह पुत्र जमन सिंह हिस्सा 1/36 दशरथ सिंह पुत्र देवी सिंह हिस्सा 1/8 पूनम कंवर पुत्री जमन सिंह हिस्सा 1/36 प्रकाश कंवर पुत्री बेग सिंह हिस्सा 1/24 प्रेम कंवर पु[illegible] सिंह हिस्सा 1/36 पुष्पा कंवर पुत्री जमन सिंह हिस्सा 1/36, [illegible] पुत्र कैलाश कंवर हिस्सा 1[illegible] | 45 | 839/2<br>836<br>870<br>816<br>817<br>818<br>[illegible] | 0.3900<br>0.3300<br>0.4000<br>0.5200<br>0.0300<br>0.9400<br>कुल 2.6100 है0 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested

14/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]
जिला-[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| सिंह पुत्र जमन सिंह हिस्सा 1/36 राजेन्द्र सिंह पुत्र जमन सिंह हिस्सा 1/36 लाल सिंह पुत्र कैलाश कंवर हिस्सा 1/24 शिवराज सिंह पुत्र झाबर सिंह हिस्सा 1/144 सन्तोष कंवर पुत्री बेग सिंह हिस्सा 1/24 सन्तोष कंवर पुत्री जमन सिंह हिस्सा 1/36 सुमिता कंवर पुत्री झाबर सिंह हिस्सा 1/144 सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत (राहिन सुरेन्द्र सिंह आईडीबीआई बैंक भारणी) | | | |

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी एवं मौका स्थिति के अनुसार भूमि की किस्म अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जरिये पत्र कमांक भू.अ./23/1862 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा प्राप्त वैधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।'

19/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक **19.10.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:58 IST
Reason: SelfAttested